



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 2016/आश्विन 5, 1938

No. 680]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2016/ASVINA 5, 1938

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 918(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 का आगे और संशोधन करने के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501(अ) दिनांक 12 मई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) में दिनांक 12 मई, 2016 को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार कतिपय नियमों का प्रारूप ऐसे व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, के सूचनार्थ प्रकाशित किया गया था और नोटिस दिया गया था कि उक्त प्रारूप नियम की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियों को आम जनता को उपलब्ध कराने की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात कार्यान्वित किया जाएगा और तदनुसार उक्त राजपत्र को दिनांक 12 मई, 2016 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था।

फोटोग्राफरों के प्रभावी प्रबंधन और केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के परिसरों में विसंकुलन करने और इस प्रकार पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सेवा सुनिश्चित करने हेतु नियम 8(घ) में संशोधन किया जा रहा है। इन नियमों के तहत किसी लाइसेंसधारी फोटोग्राफर को दिशा-निर्देशों के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शपथपत्र के रूप में वचन प्रस्तुत करने के अलावा क्या करें, क्या ना करें का कठोरता से अनुपालन करना होगा।

और जबकि आम जनता से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया ;

अतः, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

नियम

(1) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 8 के उप नियम (घ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामशः :-

“(घ) पुरातत्वीय अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस अथवा उसके अधीन और विहित शर्तों के बिना किसी सामान अथवा वस्तु की फेरी लगाना अथवा विक्रय अथवा ऐसी वस्तु या सामान की परिपाटी का प्रचार अथवा किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रदर्शन अथवा आर्थिक लाभ के लिए आगंतुक को घुमाना अथवा उसका फोटो लेना निषिद्ध है”।

[फा. सं. 29/5/2015-एम]

राकेश तिवारी, महानिदेशक

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम, का.आ. 2036, दिनांक 15.10.1959 के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग- II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) पृष्ठ 519-525 पर प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :-

- (i) संख्या का.आ. 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966
- (ii) संख्या सा.का.नि. 663(अ) दिनांक 1 मई, 1967
- (iii) संख्या का.आ. 935 दिनांक 16 फरवरी, 1971
- (iv) संख्या का.आ. 5002 दिनांक 13 दिसम्बर, 1971
- (v) संख्या सा.का.नि. 90(अ) दिनांक 30 जनवरी, 1991
- (vi) संख्या सा.का.नि. 306(अ) दिनांक 10 जुलाई, 1996
- (vii) संख्या सा.का.नि. 799(अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
- (viii) संख्या सा.का.नि. 800(अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
- (ix) संख्या सा.का.नि. 848(अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2000
- (x) संख्या का.आ. 10(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2001
- (xi) संख्या सा.का.नि. 688(अ) दिनांक 24 सितम्बर, 2001
- (xii) संख्या सा.का.नि. 372(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003
- (xiii) संख्या सा.का.नि. 37(अ) दिनांक 15 जनवरी, 2008
- (xiv) संख्या सा.का.नि. 112(अ) दिनांक 27 फरवरी, 2008
- (xv) संख्या सा.का.नि. 164(अ) दिनांक 5 मार्च, 2008
- (xvi) संख्या सा.का.नि. 436(अ) दिनांक 9 जून, 2008
- (xvii) संख्या सा.का.नि. 249(अ) दिनांक 20 मई, 2010
- (xviii) संख्या सा.का.नि. 37(अ) दिनांक 18 जनवरी, 2012
- (xix) संख्या सा.का.नि. 631(अ) दिनांक 13 अगस्त, 2012 और
- (xx) संख्या सा.का.नि. 391(अ) दिनांक 31 मार्च, 2016

MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2016

G.S.R. 918(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 were published as required under sub-section (1) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th May, 2016 vide notification of the Government of India, in the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, number G.S.R. 501(E), dated the 12th May, 2016 for the information of all persons likely to be affected thereby and notice was given that the said draft rules shall come into force after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette of these draft rules are made available to the public and whereas the said Gazette was placed in the public domain accordingly on the 12th May, 2016.

For effective management of photographers and to decongest within the premises of centrally protected monuments and so as to ensure quality service to tourists, the Rule 8(d) is being amended. The licensed photographer under these rule to observe strict do's and don'ts besides submission of undertaking in form of affidavit as specified by the Archaeological Survey of India under guidelines.

And whereas the objections/suggestions received from public were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, namely:-

Rules

- (1) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication of Official Gazette.
2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, for sub-rule (d) of rule 8, the following shall be substituted, namely:-

“(d) hawk or sell any goods or wares or canvass any custom for such goods of wares or display any advertisement in any form or show a visitor round or take his photographs for monetary consideration except under the authority of, or under, and in accordance with the conditions of, a license granted by an archaeological officer, or.”

[F. No. 29/5/2015-M]

RAKESH TEWARI, Director General

Foot Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2036, dated the 15th October, 1959 at pages 519-525 and subsequently amended vide:-

- (i) S.O. 3520 dated the 20th November, 1966,
- (ii) G.S.R. 663(E), dated the 1st May, 1967,
- (iii) S.O. 935, dated the 16th February, 1971,
- (iv) S.O. 5002, dated the 13th December, 1971,
- (v) G.S.R. 90(E), dated the 30th January, 1991,
- (vi) G.S.R. 306(E), dated the 10th July, 1996,
- (vii) G.S.R. 799(E), dated the 17th October, 2000,
- (viii) G.S.R. 800(E), dated the 17th October, 2000,
- (ix) G.S.R. 848(E), dated the 3rd November, 2000,

- (x) S.O. 10(E), dated the 5th January, 2001,
- (xi) G.S.R. 688(E), dated the 24th September, 2001,
- (xii) G.S.R. 372(E), dated the 30th April, 2003,
- (xiii) G.S.R. 37(E), dated the 15th January, 2008,
- (xiv) G.S.R. 112(E), dated the 27th February, 2008,
- (xv) G.S.R. 164(E), dated the 5th March, 2008,
- (xvi) G.S.R. 436(E), dated the 9th June, 2008,
- (xvii) G.S.R. 249(E), dated the 20th May, 2010,
- (xviii) G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2012,
- (xix) G.S.R. 631(E), dated the 13th August, 2012, and
- (xx) G.S.R. 391(E), dated the 31st March, 2016.